न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 44/2015 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— भूपराम पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 17 टी.के. मुकलावा तहसील रायसिंहनगर पुलिस थाना मुकलावा जिला श्रीगंगानगर।

——— **अपीलान्ट**

—— **बनाम** ——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर जरिये राजकीय अभिभाषक।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :— श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 24.10.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 11.09.2015, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने वृद्ध पिता श्री मनीराम पुत्र श्री रामजस के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 97/71 एसडीएम रायसिंहनगर, जिसका ओएस नं. 309/72 डीएम श्रीगंगानगर पर दर्ज शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन नं. 617/404 को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस संबंध में आवेदक के पिता श्री मनीराम की ओर से सहमति स्वरूप शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (एटीसी) राज. जयपुर, अति.पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशा) जोन, श्रीगंगानगर, तहसीलदार, रायसिंहनगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1408 दिनांक 11.7.14 को प्रेषित की है, जिसमें आवेदक को लाईसेंस दिया जाना अनुचित होने की टिप्पणी की गई है तथा केन्द्रीय गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 के प्रावधानों के मध्यनजर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी । यह अपील अपीलांट जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 11.9.15 के विरुध्द दिनांक 23.11.15 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जो 42 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट ने मियाद बिन्दु पर अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से प्राप्त हुई है, जिसके समर्थन में अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया हुआ है । प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर यह अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री सुरेश मोहता का मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 14.6.13 में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित बताया है, पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 11.7.2014 में बिना किसी कारण के आवेदक को लाईसेंस दिया जाना अनुचित बताया, इस संबंध में कोई कारण भी नहीं बताया गया कि पूर्व में उचित रिपोर्ट को अब इस रिपोर्ट में अनुचित क्यों बताया गया है, मात्र अनुचित का अंकन ही किया गया है। प्रार्थी ने पिता श्री मनीराम द्वारा दिया गया सहमति का शपथ पत्र एवं पुलिस रिपोर्ट उसके पक्ष में होने के आधार पर उसे शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने हेतु बार–बार निवेदन किया गया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई गौर नहीं किया गया। पुलिस के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जिसमें अपीलार्थी के पास हथियार होने से लोक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा हो या शांति भंग का अंदेशा हो। अपीलार्थी ने आर्म्स अधिनियम की धारा 17(3) की उप धाराओं a,b,c,d,e तथा धारा 17 के अन्य प्रावधानों की तथा किसी भी परिपत्र की कोई अवहेलना नहीं की है। अपीलांट शांति प्रिय नागरिक है। अपीलार्थी को जान व माल की सुरक्षा हेतु भी शस्त्र की आवश्यकता है। अपीलार्थी ने कोई मैटीरियल इन्फोरमेशन को छिपाया नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है ।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने वृद्ध पिताजी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। केन्द्रीय गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 31.3.2010 के प्रावधानों

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के तहत एवं जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 11.7.2014 के अनुसार अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित बताया है। इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 14.6.13 में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित बताया है, पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 11.7.2014 में बिना किसी कारण के आवेदक को लाईसेंस दिया जाना अनुचित बताया है, इस संबंध में कोई कारण भी नहीं बतलाया गया कि पूर्व में उचित रिपोर्ट को अब इस रिपोर्ट में अनुचित क्यों बताया गया है, मात्र ''अनुचित'' का अंकन ही किया गया है। इस प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक की उक्त दोनों रिपोर्ट विरोधाभाषी है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 11.7.14 में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित बताया परन्तु अनुचित क्यों है, इसका कारण अंकित नहीं किया गया है। जबकि आवेदक के पिता ने शपथ पत्र में अपने पुत्र को शस्त्र दिये जाने की सहमति दी है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा किये गये कथन से सहमत हैं कि पुलिस द्वारा यह नहीं बताया गया है कि अपीलांट के पास शस्त्र रहने से लोक शांति, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा किस प्रकार है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई और साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है।
7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2015 निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत पुनः पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अपीलान्ट द्वारा वृध्द प्रकरण के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे ।
8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 24.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर